न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांकः- /१२ निगरानी R-446-I/2012

रघुनन्दन पिता मोहनलाल निवासी ग्राम सेमली तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर (म.प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

01- सजनबाई विधवा गिरिजाशंकर निवासी मनासाखुर्द तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर (म.प्र.)

02- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला मन्दसौर (म०प्र०)

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा ५० म.प्र.भू.रां. संहिता विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग केन्द्र उज्जैन के प्रकरण क्रमांक ८२/१०.११ अपील में पारित आदेश दिनांक ३०.११.२०११ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

निगरानी के आधार

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

०२. यह कि आवेदक का नाम अनावेदक एक की सहमति से प्रक० ५३५/अ-६/७३-७४ में पारित आदेश दिनांक ०६.११.७४ द्वारा अनावेदक एक के साथ आवेदक का नामान्तरण हुआ जिसके विरूद्ध अनावेदक एक ने दिनांक १६.०६.१० को अपील प्रस्तुत की जो लगभग ३७ साल बाद प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कण्डोन किये जाने में महान वैधानिक त्रुटि की हे।

०३. यह कि दिनांक ०६.११.७४ को जो नामान्तरण आदेश हुआ वह अनावेदक एककी सहमति से हुआ था तथा अनावेदक क्रं० एक को उसी दिनांक से नामान्तरण की जानकारी थी लेकिन बाद में किसी के सिखाने

(9)

R. 446-I/2012 MPR

20-1-17
उज्जैन कैंप

Not press

आवेदक अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार। प्रकरण आवेदक पक्ष द्वारा नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष